न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- हनुमान सहाय मीणा आर.जे.एस.
सी.आई.एस. नंबर :- Reg.Cri.Case/226/2022
सी एन आर नंबर :- RJBD140004402022

निर्णय दिनांकः- 27.03.2026

पुलिस थाना इन्द्रगढ़ के मुकदमा संख्या 116/2022 अन्तर्गत धारा 354, 323, 457 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 से उदभुत प्रकरण

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री कमलेश कुमार, अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त/अभियुक्तगण	**राजेश मीना** पुत्र धन्नालाल मीणा उम्र 28 साल निवासी चाण्दाखुर्द पुलिस थाना इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री मोहम्मद शरीफ, विद्वान अधिवक्ता
अपराध की तिथि	21.06.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	21.06.2022
आरोप पत्र की तिथि	03.08.2022
आरोप के विरचना की तिथि	03.08.2022
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	15.10.2022
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	27.03.2026
निर्णय की तिथि	27.03.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	-

अभियुक्त का विवरणः-

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	**राजेश**	-	-	धारा 354, 323, 457 भा.दं.सं. 1860	**दोषमुक्ति**	-	-

अभियोजन साक्ष्य की सूचीः-

(क) अभियोजन साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अभियोजन साक्षी-1	विनोद कुमार	नक्शामौका साक्षी
अभियोजन साक्षी-2	शंकर	नक्शामौका साक्षी

अभियोजन साक्षी-3	डॉ दिनेश कुमार	इंजरी साक्षी
अभियोजन साक्षी-4	बीना चौधरी	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-5	रूपसिंह	अनुसंधान साक्षी
अभियोजन साक्षी-6	बाबूलाल	एफआईआर साक्षी

(ख) प्रतिरक्षा साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
-	-	-

(ग) न्यायालय साक्षीः-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची:-

(क) अभियोजन:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
1.	प्रदर्श पी-1	फर्द नक्शामौका	अभि. साक्षी–1
2.	प्रदर्श पी-2	बयान 161	अभि. साक्षी–2
3.	प्रदर्श पी-3	चोट प्रतिवेदन	अभि. साक्षी–3
4.	प्रदर्श पी-4	बयान 161	अभि. साक्षी–4
5.	प्रदर्श पी-5	बयान 164 सीआरपीसी	अभि. साक्षी–5
6.	प्रदर्श पी-6	मुलजिम नोटिस	अभि. साक्षी–5
7.	प्रदर्श पी-7	चैकलिस्ट	अभि. साक्षी–5
8.	प्रदर्श पी-8	फर्द गिरफ्तारी	अभि. साक्षी–5
9.	प्रदर्श पी-9	आपराधिक रिकार्ड	अभि. साक्षी–5
10.	प्रदर्श पी-10	पूछताछ रिपोर्ट	अभि. साक्षी–5
11.	प्रदर्श पी-11	तहरीरी रिपोर्ट	अभि. साक्षी–6
12.	प्रदर्श पी-12	चाक एफआईआर	अभि. साक्षी–6

(ख) प्रतिरक्षा:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
-	-	-	-

(ग) न्यायालय प्रदर्श:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
-	-	-	-

(घ) आवश्यक वस्तुए:-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
–	–	–	–

:: निर्णय ::

न्यायालय द्वारा :

01. हस्तगत प्रकरण का उद्भव प्रार्थीया श्रीमती ललिता ने उपस्थित होकर थाना इन्द्रगढ़ में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.11 पेश किये जाने से हुआ। उक्त रिपोर्ट पर बाद अनुसंधान थाना इन्द्रगढ़ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–116/2022 दर्ज कर अपराध अन्तर्गत धारा 354, 323, 457 भा.दं.सं. में अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत अभियोग–पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिए जाने से हुआ।

02. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य है कि प्रार्थीया ललिता उर्फ ललता बाई ने एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि प्रार्थीया ललता बाई पत्नी शंकर इन्द्रगढ़ की रहने वाली है। प्रार्थीया ने बताया कि लगभग 9 बजे घर पर बर्तन मांज रही थी, उस समय राजेश ने मेरे साथ जबरदस्ती की व छेड़छाड़ की जरूरत की एवं मेरे शरीर पर टच भी किया... इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पूर्वोक्त प्रकरण दर्ज हुआ, जिसमें बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 354, 323, 457 भा.दं.सं. में अभियोग–पत्र पेश हुआ। जिस पर बाद अवलोकन उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धारा में अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 354, 323, 457 भा.दं.सं. का अपराध प्रथमदृष्ट्या पाये जाने से अभियुक्त को उक्त धाराओं में आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे अभियुक्त ने सुन व समझकर अपराध से इनकार किया व अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य में पी.ड.01 विनोद कुमार, पी.ड02 शंकर, पी.ड03 डॉ दिनेश, पी.ड04 बीना चौधरी, पी.ड05 रूपसिंह व पी.ड06 बाबूलाल को परीक्षित कराया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी.01 लगायत प्रदर्श पी.12 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

05. अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किये जाने पर अभियुक्त ने प्रस्तुत आई अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा। पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत की गई।

06. बहस अन्तिम सुनी गई। बहस के दौरान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क प्रस्तुत किया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित है, अतः उन्हें दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

07. इसके विपरीत अभियुक्त अधिवक्ता ने बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ आरोपित अपराध को प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त के खिलाफ मामला प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

08. पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह हैं कि –

''क्या अभियुक्त ने दिनांक 20.06.2022 को समय रात के 09.00 बजे के लगभग ग्राम चाण्दाखुर्द में परिवादिया ललिता उर्फ ललता बाई की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं उसके साथ मारपीट कर उसके शरीर के विभिन्न अंगों पर स्वेच्छ्या साधारण उपहतियां कारित की तथा परिवादिया की लज्जा भंग करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह–अतिचार कारित किया?''

यदि हां तो इसके लिए उचित दण्ड क्या दिया जाना चाहिए?

09. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.01 विनोद कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना की तारीख मुझे याद नहीं है। करीब दो साल पहले की बात है। मुझे रात के 10 बजे करीब मेरे ही गांव का शंकरलाल मुझे घर बुलाने आया था कि मेरे साथ यह घटना हुई। मुझे शंकरलाल ने बताया कि रात के 9 बजे करीब राजेश उसके घर गया था जहां पर उसका एक बच्चा सो रहा था वह घण रखने गया था। शंकरलाल की पत्नी ललिता उससे मिली तो राजेश ने ललिता के साथ छेड़छाड़ की। मुझे शंकरलाल ने केवल इतनी ही बात बतायी थी। घटना के समय शंकरलाल खेत पर था। नक्शामौका प्रदर्श पी.01 पर ए से बी हस्ताक्षर है।

10. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.02 शंकर ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि यह आज से करीब दो–ढाई साल पहले की बात है। तारीख मुझे ध्यान नहीं है। मैं अपने खेत पर था, रात को 9 बजे घर पर आया। मेरी पत्नी ललिता ने मुझे बताया कि राजेश निवासी चाण्दाखुर्द ने मेरे साथ बलात्कार किया है।

11. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.03 डॉ दिनेश कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 21.06.2022 को सीएचसी इन्द्रगढ़ पर कार्यरत था। उस दिन श्एस.एच.ओ इन्द्रगढ़ के प्रतिवेदन पर मैने मजरूबा ललिता पत्नी शंकर उम्र 30 साल निवासी चाणदाखुर्द की चोटों का मुआयना किया था। जिसके शरीर पर निम्न चोटे पायी गयी थी रू चोट संख्या 1 सूजन, जिसकी साईज 2 इंच गुणा 1 इंच जो दाये हाथ पर कारित थी। चोट संख्यां 2 नीलगू जिसकी साईज 2 मुणा 0.5 इंच दाये हाथ के कंधे पर, चोट संख्या 3 नीलगू जिसकी साईज 2 गुणा आधा इंच जो बायी जांघ पर कारित थी। सभी चोटे कुन्द हथियार से कारित व साधारण प्रवृत्ति की थी। चोटों की अवधि 24 घण्टे के भीतर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.03 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर व सी से डी मजरूबा का पहचान चिहन है।

12. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.04 बीना चौधरी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 22.06.2022 को पुलिस थाना इन्द्रगढ़ में महिला कानि. के पद पर कार्यरत थी। उस दिन मैने पीडिता ललिता उर्फ ललताबाई पत्नी शंकरलाल जाति गुर्जर निवासी चाणदाखुर्द के बयान उसके कथनानुसार लेखबद्ध किये थे। बयान 161 प्रदर्श पी.4 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

13. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.05 रूपसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 21.06.2022 को थाना इन्द्रगढ़ में हैडकानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन थानाइंचार्ज बाबूलालजी ने मुझे प्रकरण सख्या 116/2022 अंर्तगत धारा 457,323,354 भा.दं.सं. की पत्रावली वास्ते अनुसंधान मुझे सुपुर्द की थी। दौराने अनुसंधान पीडिता ललिता उर्फ ललता के बयान 161 सी.आर. पी.सी के महिला कानि. श्रीमती बीना के द्वारा लेखबद्ध करवाकर मुझ अनुसंधान अधिकारी को सुपुर्द किये थे, जिनको मैने शामिल पत्रावली किया था। दौराने अनुसंधान मेरे द्वारा शंकरलाल, विनोद के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्व किये गये। सम्पूर्ण अनुसंधान से मुलजिम राजेश पुत्र धन्नालाल निवासी चाणदाखुर्द के विरूद्ध जुर्म धारा 354,457,323 भा.दं.सं. का प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली एस.एच.ओ हरीश भारती को सुपुर्द की।

14. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.06 बाबूलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 21.06.2022 को पुलिस थाना इन्द्रगढ़ में ए.एस.आई के पद पर कार्यरत था। उस दिन मै इंचार्ज थाना भी था, उस दिन ललिताबाई ने अपने पति शंकर के साथ उपस्थित थाना होकर एक तहरीरी रिपोर्ट मेरे समक्ष पेश की, रिपोर्ट के मजबून से मामला प्रथम दृष्टया जुर्म धारा 354,323 भा.दं.सं. का पाये जाने पर मुकदमा संख्या 116/2022 दर्ज कर तफतीश श्रीरूपसिंह हैडकानि. को सुपुर्द की थी। फरियादिया ललिताबाई की चोटों का मेडिकल मुआयना महिलाकानि. अगूंरी द्वारा करवाया गया। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी.11 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर व सी से डी कार्यवाही पुलिस का अंकन है व ई से एफ ललिताबाई के हस्ताक्षर है एवं एक्स स्थान पर शंकर का निशानी अगूंठा है। चाक एफ.आई.आर प्रदर्श पी.12 है जिस पर ए से बी मेरे वसी से डी ललिताबाई व एक्स स्थान पर शंकर का निशानी अगूंठा है। प्रकरण में मुकदमा संख्या 116/2022 अर्न्तगत धारा 354, 323 भा.दं.सं. की एफ.आई. आर दर्ज की। इसके पश्चात पत्रावली वास्ते अग्रिम अनुसंधान हेतु रूपसिंह हैडकानि. को सुपुर्द की।

15. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के निर्धारण हेतु अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से मुख्यतः यह तथ्य उभरकर आते हैं कि फरियादिया ने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी.11 में कथन किया है कि लगभग 9 बजे छत पर बर्तन मांज रही थी। उस समय राजेश ने मेरे साथ जबरदस्ती की छेडछाड ने की जरूरत की और मेरे शरीर पर टच भी किया। **उक्त गवाह को बार–बार तलब किए जाने के पश्चात भी उक्त गवाह न्यायालय में परीक्षित नहीं हुई है एवं परिवादिया ने न्यायालय के समक्ष अपने बयान लेखबद्ध नहीं करवाये है।** ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण गवाह फरियादिया की साक्ष्य से ही उक्त तथ्य साबित हो सकता था जिसको अभियोजन पक्ष पेश करने में असफल रहा है एवं जो गवाह परीक्षित करवाये है, उनमें पी.ड. 01 घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। उसने कथन किया है कि मुझे शंकरलाल ने बताया कि रात के 9 बजे करीब राजेश उसके घर गया था एवं जिरह में कथन किया है कि मेरे व शंकरलाल के घर के बीच बहुत सारे मकान है। मेरे व शंकरलाल के मकान के बीच में परिवार वालो के ही घर है। एवं अन्य गवाह पी.ड. 02 शंकर जो कि पीड़िता का पति है, ने जिरह में कथन किया है कि नक्शामौका नहीं समझता हूं। **प्रदर्श पी.01 किस तारीख को बनाया था मुझे याद नहीं है,**

इसमें क्या लिखा हुआ है यह मुझे पता नहीं है। ऐसे में उक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है। जिस प्रकार रिपोर्ट प्रदर्श पी.11 में कथन किए गए है, उस प्रकार से आहता के पति पी.ड.02 के द्वारा अपने बयानों में कथन नहीं किए गए है एवं विरोधाभासी कथन है तथा **अभियोजन पक्ष की ओर से स्वयं फरियादिया के बयान लेखबद्ध नहीं करवाये गए हैं** जिससे उक्त रिपोर्ट के तथ्यों की ताईद नहीं हो सकी है। अतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे अभियुक्त के विरुद्ध उक्त अपराध साबित करने में विफल रहा है।

16. अतः अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे अन्तर्गत धारा 354, 323, 457 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 20.06.2022 को समय रात के 09.00 बजे के लगभग ग्राम चाण्दाखुर्द में परिवादिया ललिता उर्फ ललता बाई की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया एवं उसके साथ मारपीट कर उसके शरीर के विभिन्न अंगों पर स्वेच्छ्या साधारण उपहतियां कारित की तथा परिवादिया की लज्जा भंग करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह–अतिचार कारित किया। अतः अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 354, 323, 457 भा.दं.सं. में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: <u>आदेश</u> ::

17. परिणामस्वरूप **अभियुक्त राजेश मीना** पुत्र धन्नालाल मीणा उम्र 28 साल निवासी चाण्दाखुर्द पुलिस थाना इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 को अन्तर्गत धारा 354, 323, 457 भा.दं.सं. में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति व बंध–पत्र भार से उन्मोचित किए जाते हैं।

18. अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत् धारा 437ए सीआरपीसी के तहत 10,000 रूपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका पेश करे।

(हनुमान सहाय मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़

19. निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़